प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 30.11.2025

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ 01 ए0सी0 का कॉपर पाइप व 01 बल्ब बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 29.11.2025 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी की लिखित तहरीर के आधार पर वादी के खादी भंडार खादी ग्रामोद्योग भवन शांति चौक राजेन्द्र नगर साहिबाबाद से अज्ञात द्वारा दुकान के बाहर से बल्व व ए0सी0 यूनिट से कॉपर का पाइप चोरी कर ले जाने के सम्बंध में धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटनाक्रम में आज दिनांक 30.11.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर को 01 अभियुक्त राहुल पुत्र जितेन्द्र सिंह निवासी बंसल की दुकान वाली गली जनकपुरी थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को प्रेम गली राजेन्द्र नगर गाजियाबाद के पास से चोरी किया हुआ 01 ए0सी0 का कॉपर पाइप व 01 बल्ब सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त राहुल पुत्र जितेन्द्र सिंह उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त राहुल पुत्र जितेन्द्र सिंह उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियक्त ने परसों की रात्रि में राजेन्द्र नगर सैक्टर 02 की एक दुकान के बाहर से एक बल्ब व दुकान के बाहर लगा हुआ ए0सी0 के कॉपर पाइप का टुकड़ा काटकर चोरी किया था। जिसे मैं बेचने के लिये ले जा रहा था कि पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

राहुल पुत्र जितेन्द्र सिंह निवासी बंसल की दुकान वाली गली जनकपुरी थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

चोरी किया हुआ 01 ए0सी0 का कॉपर पाइप व 01 बल्ब बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त राहुल पुत्र जितेन्द्र सिंह उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा वादिया का बैग चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये हुये बैग से प्राप्त 3,200/- रूपये नगद बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 26.11.2025 को थाना टीलामोड़ पर वादिया ने लिखित तहरीर दी और बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा शादी समोराह के दौरान मेरा पर्स(बैग) चोरी कर लिया गया है, जिसमें मेरे कागजात, पैसे व ज्वैलरी रखी थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना टीलामोड़ पुलिस द्वारा सुसंगत धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटनाक्रम में आज दिनांक 30.11.2025 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर वादिया का बैग चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1. समीर पुत्र शाकिर निवासी बी 17 शालीमार गार्डन थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष व 2. तोहिद पुत्र अकील अहमद निवासी गली नं0 1 पप्पू कॉलोनी थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष को डिफेंस कट के पास से चोरी किये हुये बैग से प्राप्त 3,200/- रूपये नगद सहित गिरफ्तार। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार दोनों अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दोनों अभियुक्तों ने दिनांक 24.11.2025 को रात्रि के समय शादी समारोह के दौरान वेटर की वेश भूषा में सिग्रेचर मैरिज होम से एक महिला का बैग चोरी किया था। जिसमें रुपये, कुछ आईडी कार्ड(कागजात) और कपड़े थे। जिसमें दोनों अभियुक्तों ने पैसे निकालकर बैग को दिलशाद गार्डन नाले के पास की झाडियों में फैक दिया था। दोनों अभियुक्त शादी समारोह में वेटर की वेश भूषा में घूमकर जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही शादी में आये लोगों का सामान या बैग आदि चोरी कर लेते हैं। जिन्हें पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. समीर पुत्र शाकिर निवासी बी 17 शालीमार गार्डन थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।
2. तोहिद पुत्र अकील अहमद निवासी गली नं0 1 पप्पू कॉलोनी थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी किये हुये बैग से प्राप्त 3,200/- रूपये नगद बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार दोनों अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:- थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

दिनांक 30.11.2025 को थाना खोड़ा पर दाखिल 116 वाहनों की नीलामी के संबंध में।

वाहन का प्रकार – 116 वाहन (89 मोटर साइकिल व 06 तीन पहिया व 15 चार पहिया व 06 साइकिल)

नीलामी का स्थान/दिनांक व समय–थाना खोड़ा कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 30.11.2025

मुल्यांकन न्युनतम धनराशि – 6,13,600/- रु0

अधिकतम धनराशि (छोड़ी गयी नीलामी) –22,11,000/- रु0

बोली दाताओं की संख्या –33

नीलामी गठित कमेटी के अध्यक्ष व सदस्य –

अध्यक्ष – सहायक पुलिस आयुक्त इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद

सदस्य – सहायक परिवहन अधिकारी (प्राविधिक) गाजियाबाद

सदस्य – प्रभारी निरीक्षक थाना खोड़ा गाजियाबाद

सदस्य – मालखाना मोर्हरिर उ0नि0 ओमवीर सिह थाना खोडा

विवरण – गठित कमेटी द्वारा थाना खोड़ा पर दाखिल 116 वाहनों की नीलामी मूल्यांकन के उपरांत व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने पर 33 बोली दाताओं द्वारा हिस्सा लिया गया। इन वाहनों की न्युनतम धनराशि 6,13,600/- रु0 निर्धारित की गयी। जिसके सापेक्ष सबसे अधिक बोली लगाने वाले बोली दाताद्वारा 22,11,000/- रु0 लगाये जाने पर हक में छोड़ी गयी।

साइबर सेल थाना भोजपुर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी ₹ 22,990/- की धनराशि वापस करायी गई।

आज दिनांक 30.11.2025 को साइबर सेल थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक के साथ हुए ऑनलाइन इण्टरनेट बेंकिंग के माध्यम से साइबर फ्रॉड में ठगी गई धनराशि ₹ 22,990/- आवेदक को वापस कराये गये।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना भोजपुर गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदक के साथ ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना भोजपुर, कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 30.11.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की ₹ 22,990/- धनराशि को वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना भोजपुर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना भोजपुर साइबर सेल टीम।